

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2025—कार्तिक 5, शक 1947

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2025

HOM-32-0006-2025-Gen-02(HOM) .—जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 (iii) के अनुसरण में, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निम्नानुसार अधिसूचना को मध्यप्रदेश के राजपत्र में पुनः प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बुद्धेश कुमार वैद्य, उपसचिव.

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्टूबर 2025

का. आ. 4698 (अ).—केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 17 क के साथ पठित जनगणना नियम, 1990 के नियम 6घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत की जनगणना, 2027 के पहले चरण के पूर्व-परीक्षण के संचालन के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार करती है. भारत की जनगणना, 2027 के पहले चरण के पूर्व परीक्षण अर्थात् चयनित नमूना क्षेत्रों में मकानसूचीकरण और मकानों की गणना सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 10 नवम्बर, 2025 से 30 नवम्बर, 2025 संचालित किया जाएगा . तारीख 1 नवम्बर, 2025 से तारीख 7 नवम्बर, 2025 तक स्व-गणना के लिए भी विकल्प होगा.

[फा. सं. 9/8/2025-सीडी (सीइएन)]

मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त.

Bhopal, the 27th October 2025

HOM-32-0006-2025-Gen-02(HOM).—In pursuance of Rule 8(iii) of the Census Rules, 1990, the following notification issued by the Registrar General and Census Commissioner, India, Ministry of Home Affairs, Government of India, is republished in the Gazette of Madhya Pradesh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BUDDHESH KUMAR VAIDYA, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office of Registrar General, India)

New Delhi, the 16th October 2025

S. O. 4698 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with Rule 6D of the Census Rules, 1990, the Central Government hereby extends the provisions of the said Act for conduct of pre-test of first phase of Census of India, 2027. The pre-test of first phase of Census of India, 2027 that is Houselisting and Housing Census in selected sample areas shall be conducted from 10th November, 2025 to 30th November, 2025 in all States and Union territories. There shall also be an option for self-enumeration, from 1st November, 2025 to 7th November, 2025.

[F. No. 9/8/2025-CD (Cen)]

MRITUNJAY KUMAR NARAYAN, Registrar General and Census Commissioner, India.